

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Orissa Sambalpur."

*The motion was adopted.*

DR. KRUPASINDHU BHOI: I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ranjit Singh. Absent.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL\*

*(Insertion of new Section 76A, etc.)*

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

Mr. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951."

*The motion was adopted.*

SHRI BHOGENDRA JHA: I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next item, Shri K. Lakkappa is absent. Now, item No. 15

SALARY ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

*(Amendment of sections 3, 6B, etc.)*  
by Shri Mool Chand Daga—Contd.

श्री राम विलास पासवान : (हाज-पुर) : उपाध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा इस बिल के बारे में रोज अखबारों में आ रहा है और जिस ढंग से....

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is on a point of order.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): The hon. member can raise a point of order; well and good, but he must do it under a particular rule.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Under rule 376.

SHRI MOOL CHAND DAGA: No. It is for the Chair to decide it.

श्री राम विलास पासवान : मैं माननीय डागा जी और तमाम साथियों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि सरकार ने सदस्यों की भावना को समझ लिया है। अब सरकार या तो इस बिल को स्वीकार करे या रिजेक्ट करे। जिस ढंग से अखबारों में निकल रहा है उससे ऐसा लगता है जैसे मैम्बर्स यहां रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मर रहे हैं...

श्री मूल चन्द डागा : कोई पार्लियामेंट का मेम्बर यह नहीं कह रहा है कि हम रो रहे हैं या मर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may not agree with him, but why can you not hear him?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, तमाम पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को रखा है । रखने के बाद अब सरकार का काम है कि वह इस पर निर्णय करे । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ, और डागा जी से आग्रह करूँगा अब बहुत हो चुका है, अब इसको कनक्लूड कराइये । सरकार को जो निर्णय लेना हो वह बोले । सरकार यहां बैठी हुई है ।

SHRI N. K. SHEJWALKAR (Gwalior): I have given notice under Rule 362.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have given notice for a closure motion. That can be done only after the member who is on his legs has spoken. After that you can discuss it.

(Interruptions)

SHRI K. RAMAMURTHY (Krishnagiri): The hon. member has pointed out certain things in his point of order. In the end of his speech, he pointed out that he wants to move a closure motion. I would like to know your ruling on that:

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shejwalkar had already given a notice of a motion. He will be allowed to move that closure motion after Shri Nandi Yellaiah has spoken. He is on his legs; he has to continue his speech. Mr. Shejwalkar, after Mr. Nandi has spoken, you can move your closure motion.

SHRI K. RAMAMURTHY: How can he move his closure motion? Under what rule will be do it?

SHRI MOOL CHAND DAGA: How can he move his closure motion? What is the time allotted for this and how much time has been lapsed?

SHRI K. RAMAMURTHY: We are in the middle of the discussion. I

would like to know how much time is left over for further discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The total time allotted on different occasions to this Bill of Mr. Mool Chand Daga was eight hours. We have already exhausted six hours and 20 minutes.

There are only one hour and forty minutes left.

SHRI MOOL CVHAND DAGA: That is all right. Let the Minister reply and I will give the reply.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Already the closure motion is there.

"At any time after a motion has been made, any member may move: 'That the question be now put, and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion That the question be now put.'"

He has already tabled the Closure motion. He has given notice.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga, he has given notice of a Closure motion. I am going to permit him according to the rules and after and after Shri Nandi Yellaiah completes his speech. Shri Nandi Yellaiah is absent.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: My motion is under Rule 362 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. Motion for closure of further debate on the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill. It is like that. There is already a notice.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The motion should be a small and short one. You cannot read. You know the rules. It says, 'That the question be now put. You should move a Closure motion in only one sentence.

Every Member has spoken now. You want a closure of the debate. You move the motion.

**SHRI N. K. SHEJWALKAR:** I have given notice. I am not reading. I am only moving the motion.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** All right. Brief submissions are allowed.

**SHRI N. K. SHEJWALKAR:** I may tell you that I am not reading. I am not giving any speech.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Only on the closure motion. Not on the subject matter of the Bill. You submit on the closure motion.

(Interruptions)

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** He is an advocate. He knows the rules.

**SHRI N. K. SHEJWALKAR:** There is already a Joint Committee on both Houses to consider this subject and it is the duty of the Government to bring any legislation if necessary on the advice of the Committee. A prolonged discussion on the matter of amenities etc., of M.Ps by MPs themselves lowers their prestige in the public eye. (Interruptions)

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Order, order please.

**SHRI N. K. SHEJWALKAR:** And it has already taken so much time of the House which probably no other private Member's Bill has taken. It is being discussed for the last two sessions of this House. It is strange why the Government though the Ministry of Parliamentary Affairs is not intervening and stopping further discussion on the subject. It seems that the Government is not interested in protecting the dignity and prestige of the M.Ps either. An hon. Member of this House was arrested at Ujjain. The other day when the Prime Minister visited Indore, and her son Shri Rajiv Gandhi visited Ujjain...

(Interruptions)

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** Now, I will put the Closure motion to vote.

**SHRI MOOL CHAND DAGA:** I have to reply No, no. (Interruptions)

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** I will go through the record to see if there is anything unconnected with the Closure Motion. I will go through the record.

**SHRI N. K. SHEJWALKAR:** The motion for closure of the debate on the Bill about Salary, Allowances and certain facilities for Members of Parliament should be considered by the Government. Therefore, I move that the Question be now put.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** The question is:

"That the Question be now put".

The lobbies have been cleared. Before, I take further action in the Matter, the Minister of Parliamentary Affairs wants to say something. He will say something to the House with regard to this.

संसदीय कार्य तथा निर्माण और  
ग्रावास मंत्रिः (श्री भोष्म नारायण सिंह):  
मान्यवर, यह सही है कि श्री डागा के  
बिल पर काफी वाद-विवाद हुआ है  
और बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने  
उसमें हिस्सा लिया है।

प्रो० मधु वण्डवते (राजापुर) :  
56।

श्री भोष्म नारायण सिंह : प्रो०  
दंडवते बता रहे हैं कि 56 माननीय  
सदस्यों ने इस में भाग लिया। हम लोगों  
ने भी बहुत ध्यानपूर्वक उनके विचारों  
और सुझावों को सुना है। (व्यवधान)  
हम पर माननीय सदस्यों का अस-  
हमेशा ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि  
हम पर उनका असर न हो। लेकिन

[श्री भीष्म नारायण सिंह]

एक दो बातों की तरफ में आप का और सब माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि यह बात ठीक है कि आप की कठिनाइयां हैं। अगर कठिनाइयां न होती तो आप ने देखा होगा, गत वर्ष ही, ऐडीशनल फैंसिलिटीज जो आप को पहले 500 रुपये प्रतिमाह मिला करती थी उस को बढ़ा कर 1000 रु० किया गया। उस के पीछे यही भावना थी कि जो वास्तविक आप की कठिनाइयां हों वह न रहने पाये क्यों कि आप के सामने आदर्श, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई वेतन है या वेतन में कोई वृद्धि है। आप के सामने आदर्श है सिम्पल लिविंग ऐंड हाई थिंकिंग, यह बात आप कभी नहीं भूलेंगे, यह मैं जानता हूँ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): At least here I support the Minister.

श्री भीष्म नारायण सिंह : आप का यह आदर्श है इस में किसी की दो राय नहीं होगी। आपका बड़ा सम्मान है, आप देश के विभिन्न भागों से चुने गए नेतागण हैं, कोई साधारण लोग नहीं हैं। आप की बड़ी महिमा है, बड़ी गरिमा है ;

SHRI MOOL CHAND DAGA: When there is a division, no Member is allowed to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is speaking with the permission of the House.

श्री भीष्म नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी महिमा हमारे संसद सदस्यों की है और इसी वजह से यह विवाद कोई बढ़े नहीं, अब शेजवालकर जी ने क्लोजर ही मूव कर दिया है, मैं उन से कहूंगा कि उन को इस के लिए कोई मतदान

कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी की दो राय इस पर नहीं होगी। काफी सम्मानित सदस्यों के विचार आ गए। हम लोगों ने उस को सुना। राम विलास पासवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सैलरीज ऐंड एलाउन्समेंट के लिए ज्वाइंट कमेटी हमारी बनी हुई है। ज्वाइंट कमेटी इस पर गहराई से विचार करती है और उन की अनुशंसा हमारे पास आती है। उस के ऊपर बहुत ही सीरियसली सरकार विचार करती है। अभी भी उन की कुछ अनुशंसा और हुई है। सरकार बहुत ही गंभीरता से उस पर विचार कर रही है। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। इस वजह से मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग इस पर सहमत हो जायें, डागा जी को भी राइट है रिप्लाय का, वह जवाब देंगे, उन से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस को वह वापस ले लेंगे और यह विवाद समाप्त हो जाय। न तो इस पर मतदान हो और न ही किसी का जो उचित हक है उस पर कोई कुठाराघात हो। यही मेरा इस पर कहना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you pressing your Motion?

SHRI N. K. SHEJWALKAR: No, Sir. I beg leave to withdraw my motion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Has the hon. Member leave of the House to withdraw his motion?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The motion was, by leave withdrawn

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. M. C. Daga, the hero of the MPs trade union.

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर जितने भी प्वाइन्ट्स रेज किए थे, उनका गवर्नमेंट की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया है। इस बिल के सम्बन्ध में कम से कम 30 माननीय



सदस्यों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इसमें न तो किसी पार्टी का कोई सवाल है और न ही हमने अपनी कोई मांग रखी है। सवाल यह है कि हम किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर सकते हैं। श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत ने यहां पर कहा है कि राष्ट्र का काम जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको हम कर पा रहे हैं या नहीं, या उसको हम नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं? मैं समझता हूं हमें पाखण्ड को छोड़कर वास्तविकता को देखना चाहिए।

मैं बताना चाहूंगा कि 1954 में जब यह ऐक्ट बना था तब इस सदन में क्या डिस्कशन हुआ था :

"It is not in recognition of the magnitude of the service. It is not a reward, it is not recompose, it is not even a salary; it is just an allowance, and I think the minimum allowance available to the men who render incalculable service to the State... It is purely an allowance to enable us to open the doors... to do public service to these men.

यहां पर यह कहना कि हम कुछ मांगने आए हैं, यह है। 1954 में जब यह कानून बना था उसके बीस साल के बाद आज देश की समस्याएँ बढ़ गई हैं और मंहगाई भी बढ़ी है, कुछ दूसरे असर भी हुए हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमें रुपया दिया जाए। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो सी पी आई के मेम्बर हैं उन्होंने क्या कहा? पहले मैं बताऊंगा कि श्री रामावतार शास्त्री, जोकि सी पी आई के मेम्बर हैं उन्होंने क्या कहा। उसके बाद सी पी एम के मेम्बर ने क्या कहा, वह बतलाऊंगा। फिर लोकदल के मेम्बर ने क्या कहा, वह बतलाऊंगा। हर पार्टी के मेम्बर ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमें ज्यादा रुपया दिया जाए। अखबार वालों का जो इन्टरप्रिटेशन

है वह गलत है। मैं तो समझता हूँ अखबार वाले हमारे साथ न्याय नहीं करते हैं। हम लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर यहां संसद में आते हैं और क्या हम इन साधनों में कर्तव्य और निष्ठा से, ईमानदारी से वहां की जनता की सेवा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सी० पी० आई० के एक माननीय सदस्य, श्री रामावतार शास्त्री, ने इस सम्बन्ध में जो कहा है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। आपकी उन पर बड़ी कृपा है। उन्होंने कहा है कि—सैक्रेटैरिएट सहायता दीजिए, टेलीफोन की सुविधा दीजिए, डाक-तार विभाग की सहूलियत दीजिए, चिट्ठी भेजने के लिए स्टैनों की सुविधा दीजिए। अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूमने के लिए जीप की सुविधा दीजिए। ये सब सुविधायें कौन मांग रहे हैं ये मांग रहे हैं, सी० पी० आई० के एक क्रान्तिकारी और मजदूर नेता श्री रामावतार शास्त्री। जब हम लोग यहां आये थे, तो अपने कोर्ट के कामों को छोड़कर यहां आए थे, कोई भीख मांगने नहीं आए थे। इस प्रकार की बकवास जो करते हैं, मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाशत नहीं करूंगा। हम अपनी चार हजार रु० की प्रैक्टिस को छोड़कर आए थे। यहां पर साल में सात-आठ महीने पार्लियामेंट चले और दो महीने कमेटी को अटेंड करें तथा 300 किलोमीटर लम्बी अपनी कान्स्टीचूयेंसी के चक्कर लगायें। आप कहते हैं कि हम यहां भीख मांगने आए हैं। आप अपने मुंह को बन्द कर दीजिए, हमें कुछ मत दीजिए—वि डू नाट वांट एनिथिंग, वी आर नाट बैगर्स। इस बारे में इन्डियन एक्सप्रेस ने कुछ लिख दिया और आपने ऐसी बात कह दी। स्वाभिमान अपनी इज्जत को लेकर चलते हैं, अभिमान के साथ चलते हैं, किसी के सहारे पर नहीं चलते हैं। यहां पर जनता पार्टी के एक सदस्य श्री दिगम्बर सिंह ने जो कहा, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ... (स्यवधान)...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Mr. Deputy-Speaker, Sir...

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. He is replying.

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him reply.

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is replying. The mover has got the right to reply.

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. Why are you afraid of any view that is being expressed here? He must express all his views.

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Can he not express his own views here?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is a question of attitude to life.

SHRI MOOL CHAND DAGA: No, no. But I tell you,

आप गरम क्यों हो रहे हैं। आप मत लीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI MOOL CHAND DAGA: "The increase in salary and allowances has been justified to maintain the efficiency of Members. I would suggest to the Government that Stenographers/Typists should be provided to them when they need and efficiency can be maintained and we can act as Members..."

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is nothing wrong. Why are you prosecuting him?

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: You want him to follow your side. You see, he is only praising you. You want it in kind and somebody wants it in cash. That is all.

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. He has only praised you. You have asked for these things. Did you not ask for these things? He has only said it.

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta-North East): What about DA to the Central Government employees? Please grant them DA.

पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज को डी० ए० दे दो।

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. Mr. Daga, you kindly conclude your reply.

*(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order concluding now. Mr. Daga please conclude. You have done very well.

SHRI MOOL CHAND DAGA: Every time they interrupt. I do not think that is advisable.

मेरा सवाल यह था कि किस मेंबर ने अन्दर से बोला है। एक मेंबर दिगंबर सिंह थे जो ज्वाइंट कमेटी के मेंबर भी हैं। आपने जो कमेटी बनाई हुई है, जबकि जनता पार्टी के समय में 301 व्यक्तियों ने लिखकर प्रधानमंत्री श्री मोरारजी को दिया, उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी हैं। उस कमेटी की सिफारिशों का किसी ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा है कि सेलरी बढ़नी चाहिए, टेलीफोन के नंबर बढ़ने चाहिए, स्पाउस पास फ्री मिलने चाहिए ताकि हर वक्त फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकें। इन्हीं सिफारिशों को देखते हुए शासन के सामने यह बिल लेकर आए हैं। उस कमेटी की सिफारिशें यूनेनिमस हैं, उसमें कोई डिसेंटिव नोट नहीं है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The mover has got the right to reply. He cannot speak as you like. He has got every right to express his views.

(Interruptions)

श्री मूल चन्द डागः : गदवी साहब ने कहा कि पहले इस ख्याल से कि सदस्य गाड़ी लेकर आएंगे, गैरेज बनाए गए, नौकर लेकर आएंगे तो सर्वेन्ट क्वार्टर्स बना दिए गए और अभी तक वही चल रहा है। एक गैरेज दे दिया गया है, एक सर्वेन्ट क्वार्टर दे दिया गया है और एक प्लैट रहने के लिए दे दिया गया है। क्या मेंबर सर्वेन्ट रख सकता है, क्या मेंबर कार रख सकता है ?

आगे मेंबर ने कहा कि आजकल जो मेंबर आते हैं वे धरती से जुड़े हुए आते हैं, साधारण और गरीब आदमी आते हैं जो जनता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें बड़े ज्ञान वाले लोग नहीं चाहिए, तेज दिमाग वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि वे लोग चाहिए जिनका हृदय सवेदनशील हो। . . . (व्यवधान) . . . हमें अतिशय ज्ञान वाले या अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, बल्कि वे लोग चाहिए जो जनता से जुड़े हुए हों और कांग्रेस के राज्य में यह चीज आई है। आज गरीब लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं।

मनोरंजन भक्त जो ने क्या कहा कि अंडमान निकोबार में जब मैं घूमता हूँ तो मेरी तन्खाह कहां जाती है? (व्यवधान) . . .

मैं एक बात चाहता था कि जो आज बड़ी-बड़ी आदर्शवाद की बातें करते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन के साथ-साथ सदन में और समाज में आपके न आने से देश का नुकसान होगा इस बात को हम नहीं कहते हैं। देश इस बात

को सोचे। यह कोई पार्टी इशू भी नहीं था। आप सोचें। ऐसा काम किया जाना चाहिए ताकि सदस्य अपने काम को भली प्रकार से, ईमानदारी से और ठीक तरह से कर सकें। सदस्यों के पास ढेर पत्र आते हैं, डाक आती है और वे किस प्रकार से उन पत्रों आदि का उत्तर दे सकते हैं। स्टेनो तक आपने उनको नहीं दिया है। कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें रिसर्च की जरूरत पड़ती है। जनता से वे सम्पर्क करना चाहते हैं तो साधन न होने के कारण नहीं कर सकते हैं। लीडर्ज तो पार्टी के चन्दे से घूम सकते हैं लेकिन हम लोग कैसे घूमें। बिना साधनों के हम जनता की बात को कैसे जान सकते हैं, कैसे जनता से सम्पर्क बनाए रख सकते हैं? सभी पार्टियों ने इसको स्पोर्ट किया है। ज्वायंट कमेटी ने भी इसके बारे में सिफारिश की है। मेरे इस बिल के अलावा और भी इस के बारे में बिल इन्ट्रोड्यूस हुआ है। आप समझें कि जो मेंबर यहाँ दिल्ली में आना चाहता है, जिसका घर देश के एक कोने में है, जो अपने बच्चों को वहाँ छोड़ कर आता है, उसको दो-दो एंटेबलिशमेंट्स मेंटेन करनी पड़ती हैं वह अगर ईमानदारी से, ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करने की स्थिति में न हो तो इससे देश का ही नुकसान होता है।

आपने कहा है कि कहीं नौकरशाही ज्यादा ताकतवार न हो जाए। आज वह ज्यादा ताकतवार क्यों हो रही है? आज हमारे ब्यूरोक्रेट्स हम पर हावी क्यों हो रहे हैं? अगर हम लोग अपना कर्तव्य निभाएं, सभी सुविधाएं हमें मिलें ताकि अच्छी तरह से हम काम कर सकें तो इससे देश का ही ज्यादा लाभ होगा, देश समृद्धिशाली बनेगा, लोगों में ज्यादा जनतांत्रिक भावना फैलेगी। हम गर्दन नीची करके न मांगें। इसलिए हम यहाँ नहीं आए हैं। कर्तव्य का हमें ठीक तरह से पालन करना है तो हमें साधन ठीक से दिए जाएं।

Give us tool, we will finish our job.

[श्री मूल चन्द डागा]

कहने को तो बहुत सी बातें थीं। आपने मोशन को भी पुट कर दिया है। मंत्री जी ने पूरा उत्तर भी दिया है। मैं कहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री का यह काम है कि वह देखें कि सदन के सदस्य किस प्रकार अपना काम करते हैं। हमारी सुविधाओं का भी वह ध्यान रखें। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। सभी माननीय सदस्यों ने इसको स्पोर्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि काम को ठीक गति देने के लिए, देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, जनता की भावनाओं का आदर करते हुए वह इस काम को करेंगे। ज्वायंट कमेटी ने जो रिकोमेंड कर दिया है और जो पार्लियामेंटी कमेटी है और जिस का अर्थ होता है कि पार्लिमेंट ने रिकोमेंड कर दिया है, उसकी अनुपालना आपको करनी चाहिये। दो-दो बार वह रिकोमेंड कर चुकी है। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही उस पर ध्यान दे कर आप कोई निर्णय लेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Daga, are you withdrawing it?

श्री मूल चन्द डागा : पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर के चेहरे से मुझे मालूम होता था कि वह जल्दी कुछ करने जा रहे हैं। मन और चेहरा उनका एक ही है न ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 1980."

*The Motion was adopted.*

SHRI MOOL CHAND DAGA: I withdraw the Bill.

16.15 hrs.

(SHRI HARINATHA MISRA in the Chair)

INDIAN TELEGRAPH (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 5)

MR. CHAIRMAN: We now take up the next Bill. Shri Bhogendra Jha.

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): Mr. Chairman, Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Telegraph Act, 1885, be taken into consideration."

The Indian Telegraph Act was enacted in 1985 when there was not even any semblance of democratic way of functioning during the colonial rule of British imperialists. Incidentally, that was the year when some British men founded the Indian National Congress which later on developed into a mass movement for our Independence against the British people.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bhogendra Jha, there is a request from the Minister incharge of Communications that you may come here and occupy the front Benches to speak so that there may be proper communication.

SHRI HARIKESH BAHADUR: According to the rules, the member should speak only from his seat.

MR. CHAIRMAN: With the permission of the Chair, he can speak from another seat. Why don't you come here?

SHRI BHOGENDRA JHA: It will then become a habit.

MR. CHAIRMAN: It is a special request of the hon. Minister you kindly come here and speak.

SHRI BHOGENDRA JHA: All right, Sir.

Our colonial rulers, the British imperialists, were in need of curtailing